



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

गोल्ड सूक के लिए ईओआई

स्थान: सैक्टर-22, द्वारका, नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) एक गोल्ड सूक विकसित करने के लिए सैक्टर-22, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित लगभग 3.91 हेक्टेयर माप वाले भूखंड को लाइसेंस शुल्क आधार पर आवंटित करने का इच्छुक है।

विकास नियंत्रण मानदंड एमपीडी 2021 और एकीकृत भवन उप-नियम 2016 के अनुसार होंगे।

इच्छुक इकाईयों से अनुरोध है कि वे अपनी कॉर्पोरेट प्रोफाइल एवं मुख्य वित्तीय सूची (जैसे पिछले 3 वर्षों के लिए सकल राजस्व, पीएटी एवं निवल मूल्य) के साथ इस ईओआई के लिए अपनी प्रतिक्रिया 24.02.2025 को सायं 5.00 बजे तक

[commrlnddisp@dda.org.in](mailto:commrlnddisp@dda.org.in) या [kunal.kashyap81@gov.in](mailto:kunal.kashyap81@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से जमा करें।

डीडीए 17.02.2025 को प्रातः 11.30 बजे हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित करेगी।

ईओआई को <https://dda.gov.in/tenders> पर एक्सेस किया जा सकता है।

**साइट का मुख्य विवरण:**

**भूमि क्षेत्रफल**

3.91 हेक्टेयर

**एफएआर**

125 (टीओडी के लिए एफएआर – 300)

**भूमि की स्थिति**

खाली एवं अधिभार मुक्त

**आवंटन की प्रक्रिया**

लाइसेंस शुल्क आधार

**लाइसेंस अवधि**

प्रारंभ में 40 वर्ष,

आगे 20 वर्ष तक

बढ़ाई जा सकती है

**साइट कोऑर्डिनेट्स**

28.554914, 77.057799

**साइट विजिट के लिए कृपया संपर्क करें:**

श्री राहुल देव समतायन, फोन नं. +91 94318 90236

**किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें:**

श्री कुणाल कश्यप, आयुक्त (एलडी), दि.वि.प्रा., फोन नं. +91 98362 50026